01 Aug 2026

अधिसूचना/Notification

Sub.- Instructions for the candidates for the examination of Junior Stenographer under Advertisement No. 03/2025-reg.

With reference to Advertisement No. 03/2025 dated 14.06.2025, issued for the recruitment of **Junior Stenographer** Post at National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL), New Delhi, it is informed to all the concerned that it is necessary to follow the instructions for appearing in the said examination:

1. परीक्षा केन्द्र पर समय पर पहुंचें । Reach the Examination Centre on Time.
   परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम 90 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहें। परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
   Arrive at the Examination Centre at least 90 minutes before the start of the test. Entrance gate of the Examination Centre will be closed 30 minutes before the scheduled commencement of the examination. Thereafter, no candidate shall be permitted to enter the Examination Centre under any circumstances.
2. बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु स्क्राइब/रीडर सुविधा संबंधी
   Regarding Scribe/Reader Facility for Candidates with Benchmark Disabilities
   RPwD अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित "बेंचमार्क दिव्यांगता" वाले किसी भी व्यक्ति को, यदि वह चाहे, तो स्क्राइब/रीडर (लिखने/पढ़ने में सहायता करने वाले व्यक्ति) की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते उन्हें लिखने में कठिनाई हो। विस्तृत जानकारी हेतु NCPSL की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना का अवलोकन करें।
   The facility of a scribe/reader shall be provided to candidates with benchmark disabilities, as defined under Section 2(r) of the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, who have a limitation in writing, including limitations in writing speed, and who desire to avail themselves of this facility. For detailed guidelines, candidates are advised to refer to the notification available on the NCPSL webpage.
3. परीक्षा केन्द्र में प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में
   Regarding Prohibited Items at the Examination Centre
   अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच अथवा अन्य अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, महिलाओं के पर्स तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ लाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा केन्द्र पर इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी।
   Candidates are strictly prohibited from carrying mobile phones, calculators, smart watches, or any other electronic gadgets, as well as bags (including ladies' purses) or any valuable items, inside the Examination Centre. No facility for safe custody of such items will be provided.

4. परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं के पाए जाने पर अनुचित साधन (UFM) संबंधी

Regarding Unfair Means (UFM) for Possession of Prohibited Items During Examination

परीक्षा शुरू होने के बाद, अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल/केन्द्र के अंदर कोई किताब, पांडुलिपि, लिखित सामग्री, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरबड्स, या कोई अन्य अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (चाहे वह इस्तेमाल हो रहा हो या नहीं) अपने पास रखता हुआ पाया जाता है, तो उसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाला माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करना और परिषद् द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं/भर्तियों से उन्हें प्रतिबंधित करना शामिल हो सकता है, जैसा भी उचित समझा जाए। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

Any candidate found in possession of any book, manuscript, written material, mobile phone, pager, smart watch, calculator, earphones, Bluetooth earbuds, or any other unauthorized electronic device inside the Examination Hall/Centre after the commencement of the examination, whether in use or not, shall be deemed to have adopted unfair means. Such candidates shall be liable to disciplinary and legal action, including cancellation of candidature and debarment from future examinations/recruitment conducted by the Council, as deemed appropriate. Candidates are, therefore, advised not to bring any prohibited items to the Examination Centre, as no arrangement has been made for their safe custody.

5. चिकित्सीय सहायक उपकरणों के संबंध में । Regarding Medical Assistive Devices

जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सीय आवश्यकता के कारण किसी भी प्रकार के चिकित्सीय सहायक उपकरण (Medical Assistive Device), जैसे श्रवण यंत्र (Hearing Aid), कॉक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant), इंसुलिन पंप (Insulin Pump), सतत ग्लूकोज़ मॉनिटर (Continuous Glucose Monitor-CGM), न्यूरोस्टिमुलेटर (Neurostimulator) अथवा अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सहायक उपकरण का उपयोग करना आवश्यक है, उन्हें परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में ऐसे उपकरण साथ रखने एवं उपयोग करने की अनुमति केवल सक्षम सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा जारी वैध चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी। आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सीय अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी बिना वैध चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के किसी भी प्रकार के चिकित्सीय सहायक उपकरण के साथ पाया जाता है अथवा उसका दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध परिषद् के नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थिता निरस्त करना, परीक्षा से निष्कासन तथा भविष्य की परीक्षाओं/भर्तियों से प्रतिबंधित किया जाना सम्मिलित हो सकता है।

Candidates who are required to use any medical assistive device on account of a medical condition, such as hearing aids, cochlear implants, insulin pumps, Continuous Glucose Monitors (CGMs), neurostimulators, or any other medically prescribed assistive device, shall be permitted to carry and use such device inside the Examination Centre/Hall only on production of a valid medical certificate issued by a competent Government Medical Authority. Candidates may also be required to produce relevant medical records, if necessary. Any candidate found carrying or using any medical assistive device without a valid medical certificate, or found misusing such device, shall be liable to disciplinary and legal action in accordance with the rules of the Council, including cancellation of candidature, expulsion from the examination, and debarment from future examinations/recruitments, as deemed appropriate.

6. परीक्षा अनुशासन एवं निर्देशों के अनुपालन संबंधी

Regarding Examination Discipline and Compliance with Instructions

अभ्यर्थियों को केन्द्राध्यक्ष/कक्ष निरीक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। निर्देशों का पालन न करने अथवा किसी भी प्रकार का अनुचित साधन अपनाने या अपनाने का प्रयास करते हुए पाए जाने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त किए जाने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Candidates must strictly comply with the instructions issued by the Centre Superintendent, Invigilators, and Observers. Failure to do so, or any attempt to adopt unfair means, shall render the candidate liable to disciplinary action, including cancellation of candidature and any other penalty as deemed appropriate by the University.

7. परीक्षा योजना। Scheme of Examination.

परीक्षा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु अभ्यर्थी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद् द्वारा जारी "Scheme of Examination including Syllabus for **Junior Stenographer** Post" का अवलोकन करें।

For detailed information regarding the examination scheme, please refer to the 'Scheme of Examination including Syllabus for **Junior Stenographer** Post' issued by National Council for Promotion of Sindhi Language.

वस्तुनिष्ठ प्रकार- लिखित परीक्षा / Objective Type Written Test

I. वस्तुनिष्ठ प्रकार- लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे।
   The Objective Type Written Test will consist of 100 multiple choice questions.

II. वस्तुनिष्ठ प्रकार- लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।
   Objective Type Written Test will carry a total of 100 marks.

III. **ऋणात्मक अंकन नहीं :** वस्तुनिष्ठ प्रकार- लिखित परीक्षा में गलत उत्तर हेतु ऋणात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे।
   No Negative Marking: No negative marks will be deducted for incorrect answers in the objective-type written examination.

IV. वस्तुनिष्ठ प्रकार- लिखित परीक्षा की **अवधि 90 मिनट** होगी।
   The duration of the Objective Type Written Test will be **90 minutes.**

8. ओ.एम.आर. शीट की जांच करें । Check the OMR Sheet.

ओ.एम.आर. शीट मिलने के बाद उसमें दी गई जानकारी की जाँच करें और तदुपरान्त ही यथा स्थान अनुक्रमांक आदि विवरण सही ढंग से प्रतिपूरित करें। शीट पर किसी प्रकार की तह, गंदगी या कट न हो, इसका पूर्णतः ध्यान रखें।

After receiving the OMR sheet, please carefully check the information given in it and only then fill in the details like roll number etc. correctly at the given space. Take full care that there is no fold, dirt or cut on the sheet.

9. गोलों को सही तरीके से भरें । Fill the Circles Correctly.

उत्तर देने के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से केवल काले या नीले बॉलपॉइंट पेन से ही भरें। एक प्रश्न में एक से अधिक विकल्प पर गोले अथवा अधूरे गोले अथवा सर्कल के बाहर तक गोले करने पर वह मान्य नहीं होगा।

To answer each question, completely fill the circle corresponding to the correct option out of the four choices using a black or blue ballpoint pen. Marking more than one option, partially filling a circle, or making any stray marks outside the circle will render the response invalid.

10. गलत उत्तर को न मिटाएं । Do Not Erase Incorrect Answers.
ओ.एम.आर. शीट पर एक बार काले किए गए गोले को मिटाने का प्रयास न करें। गलत उत्तर को मिटाने की कोशिश से आपकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु अमान्य हो सकती है।
Once a circle is darkened, do not try to erase or correct it. Any attempt to do so may invalidate your OMR sheet for evaluation.

11. अतिरिक्त चिह्नों से बचें । Avoid Extra Marks.
ओ.एम.आर. शीट पर दिए गए निर्धारित स्थानों के बाहर कोई भी चिह्न, लिखावट या अतिरिक्त गोला न बनाएं।
Do not make any marks, writing, or extra circles outside the designated spaces provided on the OMR sheet.

12. सही उत्तर क्रम का ध्यान रखें । Pay Attention to Answer Order.
अपने उत्तर क्रम का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आप सही प्रश्न के लिए सही गोला भर रहे हैं।
Ensure that you are marking the correct circle corresponding to the intended question number.

13. ओ.एम.आर. शीट को न मोड़ें या क्षतिग्रस्त न करें । Do Not Fold or Damage the OMR Sheet.
ओ.एम.आर. शीट को साफ और यथावत् रखें। ओ.एम.आर. शीट को किसी भी प्रकार से न मोड़ें और न ही उसे क्षति पहुँचाएँ।
Keep the OMR sheet clean and as it is. Do not fold & damage it in any way.

14. उत्तर को बदलने का प्रयास न करें । Do Not Try to Change an Answer.
अगर आपने गलती से गलत गोला भर दिया है, तो उसे किसी भी तरह से बदलने का प्रयास न करें।
If you accidentally mark the wrong circle, do not attempt to change it.

15. समय प्रबन्धन। Time Management.
परीक्षा के दौरान अपने समय का प्रबंधन करें। उत्तरों को भरने के लिए पर्याप्त समय छोड़ें ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलती न करें। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पत्र में अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
Manage your time effectively during the exam. Leave enough time to mark your answers carefully without rushing. No extra time will be given in any condition in any paper.

16. प्रश्नपत्र एवं ओ.एम.आर. शीट समय पर जमा करें।
Submit Question Paper & OMR Sheet on Time.
परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्नपत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट को समय से निरीक्षक को सौंपें।
Upon completion of the examination, submit the Question Paper Booklet and O.M.R. sheet to the invigilator in a timely manner.

17. इन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ताकि आपकी ओ.एम.आर. शीट को सही तरीके से जांचा जा सके और आपका परिणाम मान्य हो।
Adhering to these instructions is essential for the proper evaluation of your OMR sheet and to ensure the validity of your result.

18. बायोमेट्रिक नामांकन दिशानिर्देश । Biometric Enrollment Guidelines.
(फिंगरप्रिंट पहचान, फेस रिकग्निशन एवं आइरिस स्कैन /Fingerprint Recognition, Face Recognition & Iris Scan)

I. अनिवार्य नामांकन / Mandatory Enrollment:
सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट पहचान, फेस रिकग्निशन एवं आइरिस स्कैन) कराना अनिवार्य होगा।

All candidates must undergo biometric verification (Fingerprint Recognition, Face Recognition & Iris Scan) before entering the Examination Hall.

II. प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र / Admit Card & Photo ID:
बायोमेट्रिक नामांकन केवल प्रवेश पत्र एवं वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र(आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि) के सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

Biometric enrollment will be conducted only after verification of the Admit Card and a valid Government-issued Photo ID. (Aadhaar card, Passport etc.)

III. स्वच्छ अंगुलियां / Clean Fingers:
स्कैनिंग से पूर्व सुनिश्चित करें कि उंगलियां साफ, सूखी तथा स्याही, मेहंदी, तेल या धूल से मुक्त हों।

Ensure fingers are clean, dry, and free from ink, mehendi, oil, or dust before scanning.

IV. अंगुलियों में कोई आभूषण नहीं / No Finger Accessories:
फिंगरप्रिंट लेने के समय उंगलियों से अंगूठी, पट्टी या किसी भी प्रकार का आवरण हटा दें।

Remove rings, bandages, or any covering from fingers during fingerprint capture.

V. अंगुली सही तरीके से रखें / Proper Finger Placement:
उंगली को स्कैनर पर सीधा रखें तथा ऑपरेटर से पुष्टि मिलने तक स्थिर रखें।

Place the finger flat on the scanner and hold still until confirmation is received from the operator.

VI. चेहरा स्पष्ट दिखाई दे / Face Visibility:
फेस रिकग्निशन के लिए चेहरा पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। स्कार्फ, मास्क (यदि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक न हो) या टोपी से चेहरा न ढकें।

Keep your face fully visible for face recognition. Do not cover your face with scarves, masks (unless medically required), or caps.

VII. अवरोध हटाएं / Remove Obstructions:
धूप का चश्मा, रंगीन चश्मा या चेहरे की पहचान में बाधा डालने वाली वस्तुएं हटा दें।

Sunglasses, tinted glasses, or any items obstructing facial features must be removed.

VIII. सामान्य भाव रखें / Neutral Expression:
फेस कैप्चर के समय सामान्य भाव रखें तथा सीधे कैमरे की ओर देखें।

Maintain a neutral expression and look directly at the camera during face capture.

IX. पुनः प्रयास / Multiple Attempts:
कैप्चर असफल होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्टाफ के निर्देशानुसार पुनः प्रयास हेतु सहयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

In case of capture failure, candidates must cooperate for re-attempts as instructed by the staff. Alternate verification procedures may be adopted, if required.

X. कोई हलचल नहीं / No Movement:
सटीक रिकॉर्डिंग हेतु बायोमेट्रिक कैप्चर के समय हाथ या चेहरे को न हिलाएं।/Do not move hands or face during biometric capture to ensure accurate recording.

XI. डाटा गोपनीयता / Data Confidentiality:

बायोमेट्रिक डाटा का उपयोग केवल परीक्षा सत्यापन हेतु किया जाएगा तथा इसे गोपनीय रखा जाएगा। Biometric data will be used strictly for examination verification purposes and will be kept confidential.

XII. अनुपालन न करने की स्थिति / Non-Compliance:

बायोमेट्रिक डाटा देने से इंकार करने पर परीक्षा में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।

Refusal to provide biometric data may lead to denial of entry to the examination.

XIII. निर्देशों का पालन करें / Follow Instructions:

अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर एवं परीक्षा स्टाफ द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

Candidates must strictly follow the instructions always given by biometric operators and examination staff.

19. प्रश्नपुस्तिका में जहाँ भी अंग्रेजी के साथ द्विभाषिक संस्करण उपलब्ध होगा, वहाँ किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को व्याख्या हेतु अन्तिम एवं प्रमाणिक माना जाएगा।

Wherever a bilingual version is available alongside English in the question booklet, in the event of any ambiguity, the English version shall be treated as final and authentic for interpretation.

20. प्रश्न-पत्र के किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई आपत्ति।

Any Objection Regarding Any Question in the Question Paper

परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-कुंजी वेबसाइट पर परीक्षा तिथि के अगले दिवस की सायं तक अपलोड कर दी जायेगी। प्रश्न-पत्र के किसी भी प्रश्न के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी परीक्षा के पश्चात् निर्धारित दिनाङ्क तक अपना पूर्ण विवरण एवं संबंधित प्रश्न का स्पष्ट विवरण अधोलिखित ईमेल आईडी पर प्रेषित करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त किसी भी ईमेल पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

The question paper and answer key related to the examination will be uploaded on the website by the evening of the day **following the examination date**. If there is any objection regarding any question in the question paper, candidates must send their complete details along with a clear description of the question concerned to the email ID mentioned below by the prescribed date after the examination. No email received after the stipulated date and time will be considered.

ई-मेल आईडी / E-mail ID – examsupport2026@sanskrit.ac.in

(इस अधिसूचना में प्रकाशित किसी भी विवरण में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करने का अधिकार राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद् के पास सुरक्षित है/The National Council for Promotion of Sindhi Language reserves the right to make any amendment, modification, or addition to any matter published in this notification.)

Sd/-

Director